राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3 (ख) विविध परिपत्र/ अलेसे–II/674 दिनांक :– 16 OCT 2019

परिपत्र

निदेशालय द्वारा राज्य सरकार से सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों के माह सितम्बर, 2019 में किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में यह जानकारी में आ रहा है कि अनेक स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् आदिनांक भी अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों/ अनुमोदन के आधार पर जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना करने में कार्मिकों द्वारा विलम्ब करते हुए अब तक भी नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना एक अत्यन्त गंभीर विषय है।

उल्लेखनीय है राज्य में शहरी निकाय चुनाव की घोषणा शीघ्र ही सम्भावित है। चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी, परिणामस्वरूप स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में बहुत से कार्यालय / विभागों में लेखाकर्मियों की कमी/ आधिक्य की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित लेखा कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

समस्त स्थानान्तरणाधीन अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के **तीन दिवस** में अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यग्रहण की सूचना ई–मेल/ डाक/ दस्ती इस निदेशालय को अविलम्ब प्राप्त हो जाये। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

उल्लेखनीय है राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4 में किसी कार्मिक द्वारा विधिपूर्ण आदेशों या अनुदेशों की अवज्ञा किए जाने को अनुचित एवं अशोभनीय व्यवहार के रूप में शामिल किया गया है, अतः समस्त लेखा कार्मिक (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकार) सूचित रहें कि किसी भी लेखा कार्मिक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना या विलंबित करने को उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार माना जायेगा और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए संबंधित कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख) विविध परिपत्र/ अलेसे–II/674 दिनांक :– 16 OCT 2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष .... को भेजकर लेख है कि वे स्थानान्तरणाधीन लेखाकार्मिक को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/II/III)।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को परिपत्र वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
7. समस्त संबंधित लेखाकर्मी।
8. रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\DTA SAS-II\sas-ii\seema ji\Circular.docx